न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 5 / 2017

शालिनी सिंघल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड न0 15 व 16 कस्वा नदबई जिला भरतपुर

.......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 7–12–2016 प्रकरण संख्या 58 / 16

निर्णय दिनांक 4.6.2018

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 7–12–2016 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं प्रतिभूति राशि 1000 / –रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट द्वारा आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित नहीं, कई बार आवाज लगवाई गई अपीलान्ट या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर ने आधार कार्ड नम्बर 358135983069 से 1255 व आधार कार्ड संख्या 732476917151 से 606 कूल 1861 फर्जी ट्रन्जेक्शन कर 208.30 क्विंटल गेहू एवं 2560 लीटर कैरोसीन दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,11,17सी का उलंघन किया है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गोर किया गया। अपीलान्ट या उसके वकील का उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है कि उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नही कहना है। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 5,11,17सी का उलंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया ।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official